निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज॰)

प्रकरण संख्या 31/2021 (रसद अपील)

कृष्णा कैरियर्स कृष्णा भवन, अंकुर सिनेमा के सामने घाटगेट, अग्रसेन रोड, जयपुर । जरिये प्रोपराईटर शिशुपाल यादव पुत्र श्री अमर चन्द यादव जाति अहीर निवासी रानी सति नगर, डी सी एम, अजमेर रोड, जयपुर ।

अपीलार्थी

वनाम

1 जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

2 प्रबन्धक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि॰ जयपुर ।

3 ए. आर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जरिये प्रोपराईटर वसीम कुरेशी पता डी– 242 संजय नगर, झोटवाडा, जयपुर।

4 आर॰के॰ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रोपराईटर मोहसीन खान पता डी– 242 संजय नगर, झोटवाडा, जयपुर।

5 मैसर्स गोयल ट्रेडिंग कम्पनी राजगढ, सार्दुलपुर, चुरू, राजस्थान।

6 मैसर्स आर डी कन्स्ट्रक्शन गुरूग्राम, हरियाणा ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 38 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 20132 एवं नियम 2013 विरूद्व आदेश ई निविदा कमांक 8631 दिनांक 06.09.2021

उपस्थित :–

1. श्री सोनू प्रकाश जोशी अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 02.12.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि॰ द्वारा जारी ई–निविदा कमांक 6631 दिनांक 06.09.2021 से व्यथित हो कर यह अपील पेश की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने ई–बोली निविदा कमांक 3631 दिनांक 06.09.2021 में एक प्रतिभागी के रूप में भाग लिया था अपीलार्थी द्वारा निविदा ई–प्रोक्यूमेन्ट की साईट पर अपलोड की थी। जिसकी

ला मजिस्ट्रेट
लक्टर) जयपुर

निविदा खुलने की अवधि दिनांक 03.09.2021 को प्रातः 11.30 बजे निर्धारित की गई थी, परन्तु मेरे पास बिना निविदा खोले दिनांक 20.10.2021 को मैनेजर सिविल सप्लाई कार्पोरेशन जयपुर की ई मेल से डी एस ओ जयपुर प्रथम से हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त हुआ जिसके तहत हमसे निविदा के अन्दर प्रस्तुत दस्तावेजों का स्पष्टीकरण दिनांक 21.10.2021 को सुबह 11 बजे तक मांगा गया। उक्त दस्तोवेजों का स्पष्टीकरण एवं मूल दस्तावेज हमारे द्वारा दिनांक 21.10.2021 को सुबह 11 बजे डी एस ओ जयपुर प्रथम के समक्ष उपस्थित होकर दिये गये। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जान बूझ कर निविदा को खोलने के पश्चात ऑर्डर नहीं लगाया गया ताकि निविदा में प्रस्तुत दस्तोवजों का अन्य प्रतिभागी अवलोकन कर सके। जिस वजह से हमारे द्वारा दिनांक 22.10.2021 को आर्डर लगने के पश्चात दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया जिससे हमें यह ज्ञात हुआ कि ए० आर० ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जयपुर व आर० के० ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जयपुर के दस्तावेजों में कमियां होने पर भी अप्रार्थी संख्या 2 की मिलीभगत से उक्त दोनों फर्मो को तकनीकी निविदा में सफल घोषित किया गया जो कि गलत है तथा उपरोक्त प्रकरण पारदर्शिता अधिनियम के विरूद्व है। उक्त निविदा की शर्त संख्या 7 एवं शर्त संख्या 9 व 50 में दी गई शर्ते इस प्रकार है कि शर्त संख्या 7 किसी भी सशर्त बीड को स्वीकार नहीं किया जायेगा। शर्त संख्या 50 इस बाबत परिवहनकर्ता के पास 200 एम टी या स्थानीय आवश्यकतानुसार भण्डारण क्षमता का स्वय अथवा किराये का गोदाम होना आवश्यक है। जिससे संबंधित शपथ पत्र बीड के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें ए० आर० ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा उक्त निविदा से संबंधित शपथ पत्र में प्रस्तुत किया गया है । पेज नम्बर 84 सशर्त शपथ पत्र दिया गया है जिसका स्टाम्प संख्या 487270 की कम संख्या 3 में कार्य शील पूंजी की व्यवस्था कर खाद्यान्न उठाव का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किया जावेगा जो कि तकनीकी बीडस की सशर्त की श्रेणी में आती है जिसकी एक निविदा जिला नागौर में ए० आर० ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की रिजेक्ट की गई थी। अपीलार्थी द्वारा भीलवाडा जिले में एक प्रतिभागी के रूप में ई–निविदा कमांक 3038 दिनांक 11.06.2021 इसी तकनीकी निविदा की शर्त के आधार पर शर्त संख्या 50 के तहत रिजेक्ट किया गया था तो फिर कैसे एक जिले में स्वीकार किया गया और एक जिले में अस्वीकार किया जा सकता है। जबकि नियम, शर्त, सभी जगह एक समान है तो जिला जयपुर, भीलवाडा व नागौर में शर्तो में भिन्नता क्यों ? इसी प्रकार जयपुर जिले में निविदा किस शर्त के आधार पर ए० के० ट्रान्सपोर्ट कम्पनी व आर० ए० ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा तकनीकी निविदा शर्तो का उल्लंघन करने पर भी उन्हें सफल प्रतिभागी बनाया गया है जबकि पूर्व में दिये गये जिलों में शर्तो का उल्लंघन करने पर प्रतिभागियों को असफल करार दिया गया है । अतः ई निविदा में जिस पर घपला किया गया उस पर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये जावे जिससे अन्य जिलों में हो रही अनियमितता व सरकार की साफ छवि को दर्शाया जा सके एवं योग्य प्रतिभागियों को उनकी योग्यता के अनुसार निविदा में कार्य मिले, अन्यथा प्रशासन की ई निविदा में हो रही अनियमितता कुछ अयोग्य व्यक्तियों की वजह से योग्य दावेदार कार्य करने से वंचित रह जायेंगे। अतः अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला नागौर की तथ्यात्मक रिपोर्ट पर गौर फरमाते हुए ए० के० ट्रान्सपोर्ट कम्पनी व आर० के० ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की निविदा तकनीकी

निवदा परिणाम की शर्त संख्या 7, 9 व 50 का उल्लंघन मानते हुए विपक्षी संख्या 3 व 4 की निविदा खारिज फरमावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उपस्थित हो कर अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न परिवहन करने के लिए ई–बोली कमांक 8631 दिनांक 6.9.2021 को प्रकाशन किया गया था। जिसमें कुल 5 फर्म कमशः (1) मैसर्स कृष्णा कैरियर्स जयपुर, (2) मैसर्स ए आर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जयपुर, (3) मैसर्स गोयल ट्रेडिंग कम्पनी चुरू, (4) मैसर्स आर॰डी॰ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी हरियाणा एवं (5) आर॰ के॰ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जयपुर ने ई–बोली में भाग लिया था। जिनमें से दस्तावेज अपूर्ण होने पर कम संख्या 1, 3 व 4 को निगम कार्यालय के पत्र कमांक 655–57 दिनांक 20.10.2021 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। जिसमें मैसर्स कृष्णा कैरियर्स जयपुर द्वारा अपूर्ण दस्तावेजों का प्रत्युत्तर देने पर उपापन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार इनको तकनीकि योग्यता में सफल घोषित कर दिया गया था एवं कम संख्या 3 व 4 द्वारा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने पर तकनीकी योग्यता में उपापन समिति द्वारा इनको असफल घोषित किया गया था, वित्तीय बोली खोलने पर मैसर्स ए॰ आर॰ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जयपुर की सबसे न्यूनतम दर रूपये 30.30 प्राप्त हुई थी। निगोसियेशन उपरान्त एल–1 ( मैसर्स ए आर ट्रान्पोर्ट कम्पनी जयपुर ) फर्म द्वारा न्यूनतम दर राशि 28.51 रूपये पर खाद्यान्न परिवहन का कार्य करने की लिखित सहमति प्रदान की गई थी। अपीलार्थी मैसर्स कृष्णा कैरियर्स जयपुर की वित्तीय बोली में रूपये 30.48 की दर प्राप्त हुई थी। अपीलार्थी की अधिक दर प्राप्त होने से वित्तीय बोली से बाहर हो गया था। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में खाद्यान्न परिवहन करने के लिए ई–बोली कमांक 8631 दिनांक 6.9.2021 के कम में अपीलार्थी की ई वित्तीय बोली खोलने पर रूपये 30.48 की दर प्राप्त हुई है और प्रत्यर्थी संख्या 3 ए आर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जयपुर की ई बोली में वित्तीय बोली खोलने पर सबसे न्यूनतम दर रूपये 30.30 प्राप्त हुई थी। उपापन समिति द्वारा निगोसियेशन उपरान्त एल–1 (मैसर्स ए आर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जयपुर) फर्म द्वारा न्यूनतम दर राशि 28.51 रूपये पर खाद्यान्न परिवहन का कार्य करने की लिखित में अपनी सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी की ई–निविदा की अन्य प्रतिभागी की दर से अधिक दर प्राप्त होने से ई वित्तीय बोली से बाहर रहा है। जिमसें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 02.12.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

2/12/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर